

**बिहार सरकार**  
**भवन निर्माण विभाग**

प्रेषक,

उपेन्द्र नारायण,  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
भवन निर्माण विभाग,पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता (पटना/उत्तर/दक्षिण/विद्युत)  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना,दिनांक:-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट शीर्ष 2059010530025 के अन्तर्गत 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कोर्ट भवनो के पुनःरूपांकन (Redesigning) एवं जनसुविधाओं के योजनाओं को पूर्ण कर प्रावधानित राशि का व्यय करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभागीय पत्रांक 12442(भ) दिनांक 14.12.2018 एवं पत्रांक 12934(भ) दिनांक 28.12.2018 के द्वारा सभी कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया जा चुका है। विदित हो कि विषयांकित योजनाओं के प्रगति एवं व्यय का अनुश्रवण पटना उच्च न्यायालय के Dedicated Cell की प्रत्येक बैठक में की जाती है। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा बजट शीर्ष 2059010530025 के मद की योजनाओं को पूर्ण कर चालू वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि का व्यय हर हालत में सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

इस सदर्भ में बजट शीर्ष 2059010530025 के योजनाओं की अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन संलग्न करते हुए यह निदेश दिया जाता है की आप अपने स्तर से भी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित कर आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए।

अनु०:-यथोक्त

विश्वासभाजन

ह०/-

(उपेन्द्र नारायण)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह-विशेष सचिव,

ज्ञापांक- 14 (A)

पटना,दिनांक:- 21/1/19

प्रतिलिपि-सभी अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग, बिहार को प्रेषित। निदेश दिया जाता है की सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य पूर्ण करवाया जाये।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह-विशेष सचिव